suggest steps to reduce delays in grant/ renewal of Prospecting Licence/Mining lease, further delegation of powers to the State Governments regarding grant/ renewal of Prospecting Licence/Mining Leases and measures to be taken to prevent illegal mining.

बेन्टोनाइट का निर्यात और दोहन

1322. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के कच्छ जिले में बेन्टोनाइट और अन्य बहुमूल्य खनिजों का विशाल भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या हैं;

(ग) इन खनिजों के दोहन और निर्यात हेतु क्या कदम उठाये गये थे;

(घ) उक्त खनिजों विशेषत: बेन्टोनाइट के आयात कर्त्ताओं का विस्तृत ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या धातु और खनिज व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) ने बेन्टोनाइट के निर्यात हेतु किसी अमरीकन कंपनी के साथ समझौता किया हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) धातु और खनिज व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) ने बेन्टोनाइट के निर्यात के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए क्या शर्तें और प्रक्रिया निर्धारित की हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) जी, हां। कच्छ जिले में 50 मिलियन टन बेंटोनाइट के निक्षेप हैं जो देश के निक्षेपों का 13.7% हैं। दिनांक 1.4.90 की स्थिति के अनुसार कच्छ जिले में अन्य खनिजों के प्राप्ति योग्य निक्षेप (हजार टन में) निम्मनानुसार हैं:-

बाक्साइट	-	33660
बालक्ले	-	50
चायनाक्ले	-	535
फायरक्ले	-	10
जिप्सम	-	2198
ओकर	-	50
क्वार्टज और सिलिका सैंड	-	2860
लाइमस्टोन	-	5870999

(ग) राज्य उपक्रम मैसर्स गुजरात खनिज निगम विकास लि. और अनेक निजी खान मालिक बाक्साइट, बालक्ले, बेंटोनाइट, फायरक्ले, जिप्सम, काओलिन, लिग्राइट, लाइमस्टोन और सिलिका सैड के खनन कार्य पहले से ही कर रहे हैं। इन खनिजों का विदोहन खान एव खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात का दिशा-निर्देशन सरकार की एक्जिम नीति के अनुसार किया जाता हैं।

(घ) आयात एवं निर्यात की सूचना का संकलन करने वाले वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशालय ने सूचित किया हैं कि वह आयात और निर्यात के जिले/राज्यवार आंकड़ो का संकलन नहीं करता हैं।

(ङ.) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) मौजूदा "एक्जिम" नीति के अनुसार बेंटोनाइट का निर्यात "ओ.जी.एल." के अन्तर्गत किया जा सकता हैं। खनिज एवं धातु व्यापार निगम मूल्य, विशिष्टियां इत्यादि की दृष्टि से उत्पादों के निर्यात और प्रतिस्पर्द्धा की संभाव्यता/संभावनाओं के आधार पर गुजरात में छोटे खनिज उत्पादकों और निर्यातकों से बेंटोनाइट की समय-समय पर व्यवस्था करता हैं।

Mineral Reserves and Development of Mines in Orissa

1323. SHRI BHAGABAN MAJHI : Will the Minister of MINES be pleased to state :

(a) the estimated minerals reserve in the country at present, State-wise, mineral-wise;

(b) the estimated quantity of minerals being mined every day in the State of Orissa, mineral-wise;

(c) whether Government have formulated any scheme for adequate exploitation of these minerals hidden under the soil in the interest of Orissa;

(d) if so, the details thereof;

(e) the names of areas where new mines have been identified in Orissa; and

(f) the total amount actually spent" during each of the last three years in Orissa of modernisation/development work of mines in the State?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA) : (a) to (f) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

देश में खानें

1324. **श्री रामजीलाल** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने किस्म की और कितनी खानें हैं, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं

(ख) इन खानों से वर्ष मे कितनी आय होती है; और

(ग) गत तीन वर्षो में प्रतिवर्ष खानों से निकलने वाली सामग्री के निर्यात से कितनी आय हुई तथा क्या यह निर्यात और अधिक बढ़ाया जा सकता हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1.4.1997 को देश में ईधन खनिजों को छोड़कर प्रमुख खनिजों की कुल 3418 चालू खानें थी। इनमें से 3258 खाने खुलेमुख (ओपनकास्ट) और 148 खानें भूमिगत थी तथा 12 भूमिगत तथा खुलेमुख (ओपनकास्ट) दोनों पद्वतियों से कार्य किया जा रहा था। खुलेमुख (ओ.सी.) तथा भूमिगत खानों (यूजी) की कुल तथा राज्यवार संख्या नीचे दी गई हैं:--

क्रम संख्या	राज्य	ओसी यूजी	चालू	खानें कुल
1.	आंध्र प्रदेश	365	20	385
2.	असम	3	-	3
3.	बिहार	168	38	206
4.	गोआ	72	-	72
5.	गुजरात	536	-	536
6.	हरियाणा	11	-	11
7.	हिमाचल	11	2	13
8.	जम्मू और कश्मीर	3	-	3
9.	कर्नाटक	271	6	277
10.	केरल	69	-	69
11.	मध्य प्रदेश	469	36+9*	514
12.	महाराष्ट्र	101	4+1*	106
13.	मणिपुर	1	-	1
14.	मेघालय	2	-	2
15.	उड़ीसा	252	1+2*	255
16.	पंजाब	1	-	1
17.	राजस्थान	590	38	628
18.	सिक्किम	-	1	1
19.	तमिलनाडु	202	-	202
20.	उत्तर प्रदेश	17	2	19
21.	पश्चिम बंगाल	21	-	21
	कुल	3258	148+	12*3418

*भूमिगत तथा खुलेमुख पद्वतियों से चालू खानें।

(ख) देश में वर्ष 1995-96 के दौरान खनिज (गौण खनिजों सहित) उत्पादन का कुल मूल्य 33,843 करोड़ रूपये बताया गया हैं।

(ग) देश में खनिजों तथा अयस्कों के निर्यात का कुल मूल्य वर्ष 1993-94 में 14,266 करोड़ रू. वर्ष 1994-95 में 15,832 करोड़ रू. तथा वर्ष 1995-96 में 19,820 करोड़ रू. था। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 इस बात पर बल देती हैं कि खनिज विदेशी मुद्रा कमाने का महत्वपूर्ण स्रोत बना रहेगा। इसमें यह भी प्रावधान हैं कि खनिजों की निर्यात संबंधी नीति में देश की खनिज सूची स्थिति तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसी नीति में खनिजों का यथा-संभव मूल्यवर्धित रूप से निर्यात करने का भी प्रावधान हैं।

Implementation of Renewable Energy Programmes

1325. SHRI GOVINDRAM MIRI : Will the Minister of NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether his ministry has sought inter-ministerial coordination for